# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती विमला सोनी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंसाईसर बडा, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारसिंहपुर नग्गी, 36 एच, जिला श्रीगंगानगर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती विमला सोनी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 15035/2019 विमला सोनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15035/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती विमला सोनी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 7 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों, 13 वर्षीय पुत्री के बीकानेर में अध्ययनरत रहने एवं याचिकार्थी द्वारा विद्यालय में नामांकन वृद्धि हेतु किये गये सतत प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन संशोधन कर गृह जिले बीकानेर में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय के निर्णय एवं राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों एवं उनकी व्यक्तिगत कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए उनका पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बींझासर, डूंगरगढ जिला बीकानेर किया जाता है। श्रीमती विमला सोनी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की अनुपालना में तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 25.10.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/विमला सोनी/15035/2019 दिनांक** 22.10.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती विमला सोनी के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध सीसीए–17 नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर/श्रीगंगानगर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री अख्तर अली कोहरी, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बन्धडा, पांचू जिला बीकानेर ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)